न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 200/2023

GCMS NO. : 2023/262

–: प्रार्थीगण:–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. कालूराम पुत्र हिराराम जाति जाट निवासी लौटोती तहसील जैतारण जिला ब्यावर।		1. तहसीलदार, जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 तारीख रजू:. 27/06/2023

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 08/12/2025**

प्रार्थीगण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 भू0 राज0 अधिनियम, 1956 के तहत् पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व मौजा लौटोती पटवार हल्का लौटोती तहसील जैतारण में प्रार्थी कालूराम की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 1224/924 रकबा 0.4856 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिसकी चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेस इस कार्यवाही के साथ पेश है। प्रार्थी के इस खसरा संख्या 1224/924 व अड़ौस पड़ौस स्थित अन्य खसरान् की भूमि में आवागमन का एक मात्र रास्ते की भूमि राजस्व मौजा लौटोती पटवार हल्का लौटोती तहसील जैतारण में स्थित खसरा संख्या 926 रकबा 0.0243 हैक्टर की भूमि ही है तथा इस भूमि के अलावा प्रार्थी के खेतों में आवागमन का विकल्पेन अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। इस प्रकार से मौजा लौटोती स्थित खसरा संख्या 926 की भूमि वक्त सेटलमेंट के पूर्व से लगायत आज दिन तक बतौर रास्ते के मौके पर काम में ली जा रही है एवं इसी अनुरूप इस रास्ते की जगह पर मुरड़ इत्यादि डाला जाकर स्थाई रूप से रास्ता बनाया हुआ है। इस प्रकार से खसरा संख्या 926 की चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की प्रति भी इस कार्यवाही के साथ पेश है। इस प्रकार से खसरा संख्या 926 की भूमि मौके पर अर्से दराज से रास्ते के रूप में काम में ली जा रही है। लेकिन वर्षो पूर्व उक्त खसरा संख्या 926 के राजस्व रेकर्ड की किस्म में तत्कालीन राजस्व कार्मिकों द्वारा गै.मु.रास्ता की बजाय गै.मु. धोरा की गलत प्रविष्टि कर दी गई है; वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा नरेगा योजना के तहत इस खसरा संख्या 926 के रास्ते की भूमि को बतौर रास्ते के रूप में काम में लिये जाने के प्रयोजनार्थ इस पर जिकरा, गिट्टी इत्यादि डालकर रास्ते की स्थिति को सुधारा जाना है ताकि बारिश के मौसम में भी ग्रामवासियों को आवागमन में कोई परेशानी नही हो। इस वजह से रास्ते की भूमि खसरा संख्या 926 के राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि की किस्म गै.मु.धोरा दर्ज होने की वजह से बिना किस्म का सुधार करवाये ही रास्ते की भूमि को बतौर रास्ते के काम में लिये जाने बाबत् गिट्टी, मुरड़ इत्यादि डलवायी जाने में कानूनी पैचीदगियां पैदा हो रही है। इसलिए भी इस रास्ते की किस्म को सुधार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। खसरा संख्या 926 की भूमि के मौके पर रास्ते के सुधार करने के प्रयोजनार्थ ग्रामवासियों द्वारा निवेदन किया जाने पर प्रार्थी ने दिनांक 10.06.2023 को हल्का पटवारी एवं तहसीलदार जैतारण से इस खसरा संख्या 926 की भूमि के राजस्व रेकर्ड में किस्म का सुधार करने हेतु निवेदन किया जिस पर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

उनके द्वारा बताया गया कि इसके बाबत् न्यायालय में कानूनी कार्यवाही की जावें। प्रार्थी कालूराम के खेत में आवागमन का एक मात्र रास्त भी खसरा संख्या 926 की भूमि से ही होते हुए गुजरता है। तथा उक्त रास्ता मौके पर वर्षो पूर्व से बतौर आवागमन के काम में लिया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 को जारी दिशा निर्देश अनुसार रास्ते संबंधित समस्याओं का निराकरण अभियान 2016 में भी यह निर्देश दिये गये है कि राज्य में अनेक स्थाई रास्ते राजकीय और निजि भूमियों में से चालू है किन्तु इनका अंकन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 व राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जावें। इस प्रकार से उपरोक्त परिपत्र के अनुसार भी मौके पर खसरा संख्या 926 की भूमि पर वर्षो पूर्व से चल रहे रास्ते को बतौर गै.मु.रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक होने से यह कार्यवाही सादर पेश है। प्रार्थी की उक्त भूमि अदालत हाजा के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में ही स्थित है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के श्रीमान के समक्ष सादर पेश कर निवेदन है कि राजस्व मौजा लौटोती पटवार हल्का लौटोती तहसील जैतारण में प्रार्थी कालूराम की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 1224/924 व अन्य अड़ौस पड़ौस की कृषि भूमि में आवागमन का एक मात्र रास्ता जो कि राजस्व मौजा लौटोती पटवार हल्का लौटोती तहसील जैतारण में स्थित खसरा संख्या 926 की भूमि से होकर वर्षो पूर्व से चल रहा होने से इस भूमि की राजस्व रेकर्ड में किस्म गै.मु.धोरा की बजाय गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें एवं इसी अनुरूप में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने बाबत् आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लौटोती के खसरा संख्या 1224/924 रकबा 0.4856 हैक्टर भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि है। वादीगण के खसरा संख्या 1224/924 के लगते हुए खसरा संख्या 926 रकबा 0.0243 हैक्टर भूमि किस्म गै.मु.धोरा आई हुई है जो कि वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है। अन्य कथन वादीगण स्वयं साबित करें।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार पर गौर कर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। प्रकरण का विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है-

प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 1224/924 रकबा 0.4856 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, राजस्व मौजा लौटोती पटवार हल्का लौटोती तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में वाके है। जिसके लगते ही खसरा संख्या 926 रकबा 0.0243 हैक्टर भूमि किस्म गै.मु.धोरा आई हुई है। जिसमें से प्रार्थी व अन्य अड़ौस पड़ौस रास्ते के रूप में उपयोग में लेकर आवागमन वक्त सेटलमेंट से करते आ रहे है। इसलिए राजस्व मौजा लौटोती पटवार हल्का लौटोती तहसील जैतारण में स्थित खसरा संख्या 926 की भूमि वर्षो से रास्ते के रूप में उपयोग में आने के कारण इस भूमि को राजस्व रेकर्ड में किस्म गै.मु.धोरा की बजाय गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने बाबत् निवेदन किया। परन्तु तहसीलदार जैतारण सरकार पैरोकार ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि ग्राम लौटोती के खसरा संख्या 1224/924 रकबा 0.4856 हैक्टर भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि है। वादीगण के खसरा संख्या 1224/924 के लगते हुए खसरा संख्या 926 रकबा 0.0243 हैक्टर भूमि किस्म गै.मु.धोरा आई हुई है जो कि वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है। प्रार्थी द्वारा उक्त

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उप-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 व 136 के अन्तर्गत पेश कर राजस्व मौजा लौटोती पटवार हल्का लौटोती तहसील जैतारण में स्थित भूमि खसरा संख्या 926 रकबा 0.0243 हैक्टर किस्म गै.मु.धोरा की किस्म परिवर्तन कर गै.मु. रास्ता करवाने बाबत् निवेदन किया है। परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं अन्य राजस्व परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं के अनुसार राज्य सरकार की सरकारी एवं गैर सरकारी भूमि की किस्म परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार के अन्तर्गत निहित है। उक्त किस्म परिवर्तन बाबत् सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार के अन्तर्गत नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 किस्म परिवर्तन बाबत् न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार से बाहर होने एवं भली भांति साबित नही होने से इस प्रार्थना पत्र को खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित रहेगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी भलीभांती साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारीज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण,ब्यावर

निर्णय आज दिनॉक 08/12/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण,ब्यावर